

गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
 (राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

E-Mail:- r.mes@rajasthan.gov.in

Contact no.-0141-2601727

क्रमांक-एफ.15(7)डी.एम.ई./एके./2018/ 2278

दिनांक :- 28-10-2020

आदेश

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अलावा अन्य प्रकार की फीस/चार्ज का निर्धारण आदेश संख्या एफ.15(7)डी.एम.ई./एके./2018/707 दिनांक 05.06.2018 तथा आदेश क्रमांक 1288 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 05.06.2018 की शर्त संख्या-01 में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी के प्रावधान के तहत नवीन छात्रों एवं गत वर्षों से अध्ययनरत छात्रों के लिए चार्ज में निम्नानुसार 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर फीस/चार्ज का निर्धारण किया जाता है :-

Sr. No.	Fee/Charge	Frequency	Agreeable Rates	Increase per year	2019-20	2020-21	
Academic fee/charges expect tuition fee							
1	Admission Fee	Only once	12000/-	10% per year rounded off to next 100.	13200	14600	
2	Sports & Academic Fund	Every Year	10000/-		11000	12100	
3	Non Refundable Security/Caution Money	Once-Non Refundable	5000/-		5500	6100	
Boarding and loading Charges							
01	Hostel Fee/ Accommodation Charges (Single Seated)	Every Year	20000/-		22000	24200	
02	Hostel Fee/ Accommodation Charges (Double Seated)	Every Year	16000/-		17600	19400	
03	Hostel Fee/ Accommodation Charges (Triple Seated)	Every Year	13000/-	14300	15800		
04	Electricity & water Charges	Every Year	7000/-	7700	8500		
05	Infrastructure Development & Welfare fund	Every Year	5000/-	5500	6100		
06	Non Refundable Security	Only once	3000/-	3300	3700		

1. अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।
2. यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है।
3. यह बढ़ोतरी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रभावी होगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं
 निदेशक, राजमेस

दिनांक :- 28-10-2020

क्रमांक-एफ.15(7)डी.एम.ई./एके./2018/ 2278

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना/बजट/विभाग, जयपुर।
4. अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन शासन उप सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, विभाग जयपुर।
5. निजी सहायक, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, (ग्रुप-1) जयपुर।
6. अति निदेशक (प्रशासन/शैक्षणिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, नवीन मेडिकल कॉलेज, समस्त।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस।
10. रक्षित पत्रावली।

(शिवांगी स्वर्णकार)
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं
 निदेशक, राजमेस